महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997 क्रमांक 3 के अन्तर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)

Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya

(A Central University established by Parliament by Act No.3 of 1997)

क़ादर नवाज़ ख़ान
Kadar Nawaz Khan
कार्यकारी कुलसचिव/Acting Registrar

दूरभाष / Phone: +91-7152-251661
फ़ैक्स / Fax: +91-7152-230903

पत्रांकः 005/2009/**DOS**/10 (3-8)/2011/659

दिनांकः 02/12/2014

परिपत्र

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के **'डिग्रियों के विनिर्देशन'** के संबंध में **भारत के राजपत्र** में 05 जुलाई, 2014 को प्रकाशित संलग्न **दिशा-निर्देश** के आलोक में अपने विद्यापीठ/विभाग/केंद्र द्वारा संचालित एवं नये सत्र से प्रस्तावित (अगर है तो) पाठ्यक्रमों एवं उससे संबंधित दी जानी वाली डिग्रियों के संबंध में विचार कर अधोहस्ताक्षरी को सूचित करने का कष्ट करें।

इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदनोपरांत निर्गत किया जा रहा है।

क़ादर नवाज़ 02/12/14
(क़ादर नवाज़ ख़ान)

प्रतिलपिः

1. कुलपति कार्यालय
2. प्रतिकुलपति कार्यालय
3. कुलसचिव कार्यालय
4. समस्त अधिष्ठाता/विभागाध्यक्ष/निदेशक/केंद्राध्यक्ष
5. संयुक्त कुलसचिव (अकादमिक)
6. संयुक्त कुलसचिव (दूरशिक्षा निदेशालय)
7. लीला प्रभारी को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।
8. कार्यालय प्रति

पोस्ट– हिंदी विश्वविद्यालय, गांधी हिल्स, वर्धा – 442005 (महाराष्ट्र), भारत
P.O.- Hindi Vishwavidyalaya, Gandhi Hills, Wardha-442005 (Maharashtra), India
वेब साईट/Website : www.hindivishwa.org

95

रजिस्ट्री सं. डीएल (एन)-04/0007/2003--05

REGISTERED No. DL(N)—04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 27] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 5—जुलाई 11, 2014 (आषाढ़ 14, 1936)

No. 27] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 5—JULY 11, 2014 (ASADHA 14, 1936)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

डिग्रियों का विनिर्देशन

नई दिल्ली, मार्च 2014

मि.सं. 5–1/2013 (सीपीपी–II)—विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 (3/1956) के अनुच्छेद (22) के उप–अनुच्छेद (3) में प्रदत्त अधिकारों के अनुपालन तथा डिग्रियों के विनिर्देशन से संबद्ध पिछली सभी अधि सूचनाओं का प्रतिस्थापन करते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी), केन्द्र सरकार की स्वीकृति से इस अधिसूचना के माध्यम से अनुच्छेद 22 के अन्तर्गत डिग्रियों की नामावली विनिर्देशित कर रहा है।

विनिर्देशित डिग्रियाँ

उच्चतर शिक्षा के समस्त स्तरों पर जिन डिग्रियों की विस्तृत नामावलिया विनिर्देशित की जा रही है। उनका सभी विश्वविद्यालयों/उच्च शिक्षा संस्थानों को अनिवार्य रूप से पालन करना है। विनिर्देशित डिग्रियों की नामावलियों के साथ साथ, न्यूनतम प्रवेश स्तर अर्हताएं एवं पाठ्यक्रम की अवधि का भी दर्शाया गया हैं। निम्न तालिका के नीचे ऐसी डिग्रियों की नामावलियां भी दी गई है जो वर्तमान में प्रचलन में है परन्तु जिनमें न तो पारम्परिक और ना ही वास्तविक ज्ञान नवाचार को प्रतिविम्बित करने वाली बात पाई गई। ऐसी

डिग्रियों की नामावली को वि–विनिर्देशित किया जाता है तथा सुझाव दिया जाता है कि दिए गए सुझावों के अनुसार उनको पुनर्गठित/परिवर्तित किया जाए।

	सभी विषयों में सार्वभौमिक/सामान्य				
	विनिर्देशित डिग्रियाँ		स्तर	न्यूनतम अवधि (वर्षों में)	प्रवेश अर्हता
	संक्षिप्त	विस्तारित			
1.	डी. लिट.	डॉक्टर ऑफ लिट्रेचर	पोस्ट–डॉक्टरल	....	पीएच0डी0
2.	डी. एससी.	डॉक्टर ऑफ सांईन्स	पोस्ट–डॉक्टरल	....	पीएच0डी0
3.	एल.एल.डी.	डॉक्टर ऑफ लॉ	पोस्ट–डॉक्टरल	2	पीएच0डी0
4.	पीएच.डी./डी.फिल	डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी	पोस्ट–डॉक्टरल	2	मास्टर्स
5.	एम.फिल	मॉस्टर ऑफ फिलॉसफी	पोस्ट–डॉक्टरल	1–1/2	मास्टर्स

	कृषि एवं समवर्ती विषय				
	विनिर्देशित डिग्रियाँ		स्तर	न्यूनतम अवधि (वर्षों में)	प्रवेश अर्हता
	संक्षिप्त	विस्तारित			
6.	बी.एससी. (एग्रीकल्चर)	बैचलर ऑफ साइंस (एग्रीकल्चर)	बैचलर्स	4	10+2
7.	एम.एससी. (एग्रीकल्चर)	मास्टर ऑफ साइंस (एग्रीकल्चर)	मास्टर्स	2	बैचलर्स
8.	बी.एससी. (सेरीकल्चर)	बैचलर ऑफ साइंस (सेरीकल्चर)	बैचलर्स	4	10+2
9.	एम.एससी. (सेरीकल्चर)	मास्टर ऑफ साइंस (सेरीकल्चर)	मास्टर्स	2	बैचलर्स
10.	बी.वी. एससी.	बैचलर ऑफ वैटनरी साइंस	बैचलर्स	4	10+2
11.	एम.वी. एससी.	मास्टर ऑफ वैटनरी साइंस	मास्टर्स	2	बैचलर्स
12.	बी.एफ. एससी.	बैचलर ऑफ फिशरीज साइंस	बैचलर्स	4	10+2
13.	एम.एफ. एससी.	मास्टर ऑफ फिशरीज साइंस	मास्टर्स	2	बैचलर्स

	पत्रकारिता/जन सम्प्रेषण/मीडिया				
	विनिर्देशित डिग्रियाँ		स्तर	न्यूनतम अवधि (वर्षों में)	प्रवेश अर्हता
	संक्षिप्त	विस्तारित			
14.	बीजे	बैचलर ऑफ जर्नलिज्म	बैचलर्स	1	बैचलर्स
15.	एमजे	मास्टर ऑफ जर्नलिज्म	मास्टर्स	1	बीजे
16.	बी.ए. (जर्नलिज्म)	बैचलर ऑफ आर्ट्स (जर्नलिज्म)	बैचलर्स	3	10+2
17.	एम.ए. (जर्नलिज्म)	मास्टर ऑफ आर्ट्स (जर्नलिज्म)	मास्टर्स	2	बैचलर्स
	बीजेएमसी/बीएमसी को बी0ए0 (जर्नलिज्म एवं मास कम्यूनिकेशन) के रूप में पुनर्गठित किया जाए				

	आर्ट्स/ह्यूमेनिटीज/सोशल साइंस				
	विनिर्देशित डिग्रियाँ		स्तर	न्यूनतम अवधि (वर्षों में)	प्रवेश अर्हता
	संक्षिप्त	विस्तारित			
18.	बी.ए./बी.ए. (ऑनर्स)	बैचलर ऑफ आर्ट्स/बैचलर ऑफ आर्ट्स (ऑनर्स)	बैचलर्स	3	10+2
19.	एम.ए.	मास्टर ऑफ आर्ट्स	मास्टर्स	2	बैचलर्स
20.	बीएसडब्ल्यू	बैचलर ऑफ सोशल वर्क	बैचलर्स	3	10+2

21.	एमएसडब्ल्यू	मास्टर ऑफ सोशल वर्क	मास्टर्स	2	बैचलर्स
22.	बीआरएस	बैचलर ऑफ रूरल स्टडीज	बैचलर्स	3	10+2
23.	एमआरएस	मास्टर ऑफ रूरल स्टडीज	मास्टर्स	2	बैचलर्स
	बी.लिट. को बी.ए. (लिट्रेचर) के रूप में पुनर्गठित किया जाए एम.लिट. को एम.ए. (लिट्रेचर) अथवा एम.फिल. के रूप में यथा स्थिति पुनर्गठित किया जाए बी.ओ.एल. को बी.ए. (ओरियन्टल लर्निंग) के रूप में पुनर्गठित किया जाए एम.ओ.एल. को एम.ए. (ओरियन्टल लर्निंग) के रूप में पुनर्गठित किया जाए बी.पी.एस. को बी.ए. (पॉपुलेशन स्टडीज) के रूप में पुनर्गठित किया जाए एम.पी.एस. को एम.ए.(पॉपुलेशन स्टडीज) के रूप में पुनर्गठित किया जाए एम.इन्ड. को एम.ए.(इन्डोलोजी) के रूप में पुनर्गठित किया जाए बीएसएस को बी.ए. (सोशल स्टडीज) के रूप में पुनर्गठित किया जाए बी.एस.एससी. को बी.ए. (सोशल स्टडीज) के रूप में पुनर्गठित किया जाए				

	एजुकेशन / टीचर्स ट्रेनिंग				
	विनिर्देशित डिग्रियाँ		स्तर	न्यूनतम अवधि (वर्षों में)	प्रवेश अर्हता
	संक्षिप्त	विस्तारित			
24.	बी0एड0	बैचलर आफ एजुकेशन	बैचलर्स	1	बैचलर्स
25.	बी0एल0एड0	बैचलर आफ एलीमैन्टरी एजुकेशन	बैचलर्स	4	10+2
26.	एम0एड0	मास्टर आफ एजुकेशन	मास्टर्स	1	बी.एड.
27.	बी0पी0एड0	बैचलर आफ फिजीकल एजुकेशन	स्नातक	1	बैचलर्स
28.	एम0पी0एड0	मास्टर आफ फिजीकल एजुकेशन	मास्टर्स	1	बीपीएड
	बीपीई को बीपीएड के रूप में पुनर्गठित किया जाए एमपीई को एमपीएड के रूप में पुनर्गठित किया जाए				

	विधि(लॉ)				
	विनिर्देशित डिग्रियाँ		स्तर	न्यूनतम अवधि (वर्षों में)	प्रवेश अर्हता
	संक्षिप्त	विस्तारित			
29.	एल0एल0बी0	बैचलर आफ लॉ	बैचलर्स	3	बैचलर्स
30.	एल0एल0एम0	मास्टर आफ लॉ	मास्टर्स	2	मास्टर्स
31.	एल0एल0डी0	डॉक्टर आफ लॉ	पोस्ट पीएच.डी.	2	पीएच.डी.
	बी0सी0एल0 को एल0एल0बी0 (सिविल लॉ) अथवा एल0एल0बी0 (कामर्शियल लॉ) के रूप में पुनर्गठित किया जाए। बी0जी0एल0 को एल0एल0बी0 (जनरल लॉ) के रूप में पुनर्गठित किया जाए। बी0एल0 को एल0एल0बी0 के रूप में पुनर्गठित किया जाए। एम0एल0 को एल0एल0एम0 के रूप में पुनर्गठित किया जाए। डी0एल0 को एल0एल0डी0 के रूप में पुनर्गठित किया जाए।				

	व्यवसाय प्रशासन / वाणिज्य / प्रबन्धन / वित्त				
	विनिर्देशित डिग्रियाँ		स्तर	न्यूनतम अवधि (वर्षों में)	प्रवेश अर्हता
	संक्षिप्त	विस्तारित			
32.	बी.कॉम / बी.कॉम (ऑनर्स)	बैचलर आफ कामर्स / बैचलर आफ कामर्स (ऑनर्स)	बैचलर्स	3	10+2
33.	एम.कॉम	मास्टर आफ कामर्स	मास्टर्स	2	बैचलर्स
34.	बीबीए	बैचलर आफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन	बैचलर्स	3	10+2

35.	एमबीए	मास्टर आफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन	मास्टर्स	2	बैचलर्स
36.	बीएमएस	बैचलर आफ मैंनेजमेन्ट स्टडीज	बैचलर्स	3	10+2
37.	एमएमएस	मास्टर आफ मैनेजमेन्ट स्टडीज	स्नातकोत्तर	2	बैचलर्स
	बीबीएस / बीबीएम / बीबीई को बीबीए अथवा बी.कॉम अथवा बी.कॉम (आनर्स) के रूप में पुनर्गठित किया जाए बीआईबीएफ को बीबीए अथवा बी.कॉम (इन्टरनेशनल बिजनेश एण्ड फाइनेन्श) के रूप में पुनर्गठित किया जाए एमएफएम / एमएफसी को एमबीए (फाइनेन्शियल मेनेजमैन्ट) के रूप में पुनर्गठित किया जाए एमआईबी / एमआईबीएम को एमबीए / एम.कॉम (इन्टरनेशनल बिजनेस) के रूप में पुनर्गठित किया जाए एमएचआरडी / एमएचआरओडी को एमबीए / एम.कॉम (ह्यूमन रिसोर्सिज डेवलपमेन्ट) के रूप में पुनर्गठित किया जाए एम.एमकेटी.एम को एमबीए / एम.कॉम (मार्किटिंग मैनेजमेन्ट) के रूप में पुनर्गठित किया जाए एमएफटी को एमबीए / एम.कॉम (फॉरन ट्रेड) के रूप में पुनर्गठित किया जाए एमएचए को एमबीए / एम.कॉम (हास्पीटल एडमिनिस्ट्रेशन) के रूप में पुनर्गठित किया जाए एमएफए को एमबीए / एम.कॉम (फाइनेन्शियल एनेलिसिस) के रूप में पुनर्गठित किया जाए एमबीई को एमए / एमबीए / एम.कॉम (बिजनेस इकोनोमिक्स) के रूप में पुनर्गठित किया जाए				

	लाइब्रेरी एण्ड इन्फारमेशन साइंस				
	विनिर्देशित डिग्रियाँ		स्तर	न्यूनतम अवधि (वर्षों में)	प्रवेश अर्हता
	संक्षिप्त	विस्तारित			
38.	बी.लिब.साइंस	बैचलर आफ लाइब्रेरी साइंस	बैचलर्स	1	बैचलर
39.	बी.लिब.आई.साइंस	बैचलर आफ लाइब्रेरी एण्ड इन्फॉरमेशन साइंस	बैचलर्स	1	बैचलर
40.	एम.लिब.साइंस	मास्टर आफ लाइब्रेरी साइंस	मास्टर्स	1	बैचलर आफसाइंस
41.	एम.लिब.आइ.साइंस	मास्टर आफ लाइब्रेरी एण्ड इन्फारमेशन साइंस	मास्टर्स	1	बैचलर आफ इन्फारमेशन साइंस
	एम.एल.आई.साइंस को एम. लाइब्रेरी इन्फारमेशन साइंस के रूप में पुनर्गठित किया जाए				

	फाइन आर्ट / परफॉरमिंग आर्ट / विजुअल आर्ट / एप्लाइड आर्ट				
	विनिर्देशित डिग्रियाँ		स्तर	न्यूनतम अवधि (वर्षों में)	प्रवेश अर्हता
	संक्षिप्त	विस्तारित			
42.	बीएफए	बैचलर आफ फाइन आर्ट	बैचलर्स	4	10+2
43.	एमएफए	मास्टर आफ फाइन आर्ट्स	मास्टर्स	2	बैचलर्स
44.	बीवीए	बैचलर विजुअल आर्ट	बैचलर्स	4	10+2
45.	एमवीए	मास्टर आफ विजुअल आर्ट	मास्टर्स	2	बैचलर्स
46.	बीपीए	बैचलर आफ परफॉरमिंग आर्ट	बैचलर्स	4	10+2
47.	एमपीए	मास्टर आफ परफॉरमिंग आर्ट	मास्टर्स	2	बैचलर्स
	बी.डान्स को बीपीए (डान्स) के रूप में पुनर्गठित किया जाए एम.डान्स को एमपीए(डान्स) / एमएफए (डान्स) के रूप में पुनर्गठित किया जाए बी.म्यूजिक को बीपीए(म्यूजिक) / बीएफए(म्यूजिक) के रूप में पुनर्गठित किया जाए एम.म्यूजिक को एमपीए(म्यूजिक) / एमएफए(म्यूजिक) के रूप में पुनर्गठित किया जाए डी.म्यूजिक को पीएच.डी.(डान्स) के रूप में पुनर्गठित किया जाए				

	होटल प्रबन्धन / अतिथि सत्कार / पर्यटन / यात्रा				
	विनिर्देशित डिग्रियाँ		स्तर	न्यूनतम अवधि (वर्षों में)	प्रवेश अर्हता
	संक्षिप्त	विस्तारित			
48.	बीएचएम	बैचलर आफ होटल मैंनेजमेन्ट	बैचलर्स	4	10+2
49.	एमएचएम	मास्टर आफ होटल मैंनेजमेन्ट	मास्टर्स	2	बैचलर्स
50.	बीएचएमसीटी	बैचलर आफ होटल मैंनेजमेन्ट एण्ड केटरिंग टैक्लोलोजी	बैचलर्स	4	10+2
51.	एमएचएमसीटी	मास्टर आफ होटल मैंनेजमेन्ट एण्ड केटरिंग	मास्टर्स	2	बैचलर्स

		टैक्नोलोजी			
52.	बीटीटीएम	बैचलर आफ टूरिज्म एण्ड ट्रेवल मैंनेजमेन्ट	बैचलर्स	4	10+2
53.	एमटीटीएम	मास्टर आफ टूरिज्म एण्ड ट्रेवल मैंनेजमेन्ट	मास्टर्स	2	बैचलर्स
	कुछ विश्वविद्यालयों द्वारा प्रस्तुत की जा रही डिग्रियों का पुनर्गठन किया जाना आवश्यक है : बीएचटीएम को बीएचएम/बीएचएमटीसी/बीटीटीएम के रूप में पुनर्गठित किया जाए बीटीए को बीटीटीएम/बीबीए (टूरिज्म एण्ड ट्रेवल) के रूप में पुनर्गठित किया जाए एमटीए को एमटीटीएम अथवा एमबीए (टूरिज्म एण्ड ट्रैवल मैनेजमेन्ट) के रूप में पुनर्गठित किया जाए बीएचएमटीटी को बीएचएम/बीएचएमसीटी/बीटीटीएम के रूप में पुनर्गठित किया जाए				

	विज्ञान				
	विनिर्देशित डिग्रियाँ		स्तर	न्यूनतम अवधि (वर्षों में)	प्रवेश अर्हता
	संक्षिप्त	विस्तारित			
54.	बी.एससी./बी. एससी.(ऑनर्स)	बैचलर आफ साइंस/बैचलर आफ साइंस (ऑनर्स)	बैचलर्स	3	10+2
55.	एम.एससी.	मास्टर आफ साइंस	मास्टर्स	2	बैचलर्स
56.	बीसीए	बैचलर आफ कम्प्यूटर एप्लीकेशन	बैचलर्स	3	10+2
57.	एमसीए	मास्टर आफ कम्प्यूटर एप्लीकेशन	मास्टर्स	3	बैचलर्स
58.	बी.स्टैट	बैचलर आफ स्टेटिस्टिक्स	बैचलर्स	3	10+2
59.	एम.स्टैट	मास्टर आफ स्टेटिस्टिक्स	मास्टर्स	2	बैचलर्स
	बी.एस.एससी को बी.एससी (सेनेटरी साइंस) के रूप में पुनर्गठित किया जाए				

	अभियान्त्रिकी/प्रोद्योगिकी/वास्तु शिल्प/ (डिजाइन)				
	विनिर्देशित डिग्रियाँ		स्तर	न्यूनतम अवधि (वर्षों में)	प्रवेश अर्हता
	संक्षिप्त	विस्तारित			
60.	बी.टैक	बैचलर आफ टैक्नोलोजी	बैचलर्स	4	10+2
61.	एम.टैक	मास्टर आफ टैक्नोलोजी	मास्टर्स	2	बैचलर्स
62.	बीई	बैचलर आफ इन्जीनियरिंग	बैचलर्स	4	10+2
63.	एमई	मास्टर आफ इन्जीनियरिंग	मास्टर्स	2	बैचलर्स
64.	बी.आर्क	बैचलर आफ आर्किटैक्चर	बैचलर्स	5	10+2
65.	एम.आर्क	मास्टर आफ आर्किटैक्चर	मास्टर्स	2	बैचलर्स
66.	बी.प्लान	बैचलर आफ प्लानिंग	बैचलर्स	4	10+2
67.	एम.प्लान	मास्टर आफ प्लानिंग	मास्टर्स	2	बैचलर्स
68.	बी.आई.डी.	बैचलर आफ इन्टीरियर	बैचलर्स	4	10+2
69.	एम.आइ.डी.	मास्टर आफ इन्टीरियर	मास्टर्स	2	बैचलर्स
70.	बी.डिजाइन	बैचलर आफ डिजाइन	बैचलर्स	4	10+2
71.	एम.डिजाइन	मास्टर आफ डिजाइन	मास्टर्स	2	बैचलर्स
	बी.कैम.ई. को बी.टैक/बीई (कैमिकल इन्जीनियरिंग) के रूप में पुनर्गठित किया जाए बी.कैम.टैक. को बी.टैक/बीई (कैमिकल टैक्नोलोजी) के रूप में पुनर्गठित किया जाए बीसीई को बी.टैक/बीई (सिविल इन्जीनियरिंग) के रूप में पुनर्गठित किया जाए बीईई को बी.टैक/बीई (इलैक्ट्रीकल इंजीनियरिंग) के रूप में पुनर्गठित किया जाए एमईई को एम.टैक/एमई (इलैक्ट्रीकल इंजीनियरिंग) के रूप में पुनर्गठित किया जाए				
	व्यावसायिक शिक्षा				
72.	बी.वोक	बैचलर आफ वोकेशनल	बैचलर्स	3	10+2

	मेडिसन/सर्जरी/आयुर्वेद/होम्योपैथ/हेल्थ एंड एलाइड साइंस/पैरामेडिकल/नर्सिंग				
	विनिर्देशित डिग्रियाँ		स्तर	न्यूनतम अवधि (वर्षों में)	प्रवेश अर्हता
	संक्षिप्त	विस्तारित			
73.	एमबीबीएस	बैचलर ऑफ मेडिसन एवं बैचलर ऑफ सर्जरी	बैचलर्स	5–1/2	10+2
74.	एमडी	डॉक्टर ऑफ मेडिसन	मास्टर्स	3	बैचलर्स

105.	एमपीटी	मास्टर आफ फिजियोथैरेपी	मास्टर्स	2	बैचलर्स
106.	बीएससी (अभिघात देखरेख प्रबन्धन)	बैचलर आफ साइंस (ट्रोमा केयर मैनेजमेन्ट)	बैचलर्स	4	10+2
107.	फार्म.डी.	डाक्टर आफ फार्मेसी	मास्टर्स	6	10+2
108.	एम.फार्म.	मास्टर आफ फार्मेसी	मास्टर्स	2	बैचलर्स
109.	बी.फार्म.	बैचलर आफ फार्मेसी	बैचलर्स	4	10+2
110.	बी.फार्म (आयु)	बैचलर आफ फार्मेसी (आयुर्वेद)	बैचलर्स	4	10+2
	बीएएम/बीआईएम को बीएएमएस के रूप में पुनर्गठित किया जाए बी.नेट (आयु) को बीएनवाईएस के रूप में पुनर्गठित किया जाए बी.नेट (योगिक) को बीएनवाईएस के रूप में पुनर्गठित किया जाए एमएएमएस को एम डी (आयुर्वेद) के रूप में पुनर्गठित किया जाए एमएचएमएस को एमडी (होम्यो) के रूप में पुनर्गठित किया जाए एमयूएमएस को एम डी (यूनानी) के रूप में पुनर्गठित किया जाए एमएस (फार्म) को एम फार्म के रूप में पुनर्गठित किया जाए बीएस (ट्रौमा) को बी.एससी. (ट्रौमा केयर मैनेजमेन्ट सिस्टम) के रूप में पुनर्गठित किया जाए एमएई को एम.एससी. (एपिडिमाइलोजी) के रूप में पुनर्गठित किया जाए				

पुनर्वास विज्ञान					
क्र.सं.	विनिर्देशित डिग्रियाँ		स्तर	न्यूनतम अवधि (वर्षों में)	प्रवेश अर्हता
	संक्षिप्त	विस्तारित			
111.	बी.एड. स्पे.एड.	बैचलर आफ एजुकेशन–स्पेशल एजुकेशन	बैचलर्स	1	बैचलर्स
112.	एम.एड.स्पे.एड.	मास्टर आफ एजुकेशन–स्पेशल एजुकेशन	मास्टर्स	1	बीएड.स्पेशल एजुकेशन
113.	बी.पी.ओ.	बैचलर आफ प्रोस्थैटिक्स एवं आर्थोटिक्स	बैचलर्स	4	10+2
114.	एम.पी.ओ.	मास्टर आफ प्रोस्थैटिक्स एवं आर्थोटिक्स	मास्टर्स	2	बी.पी.ओ.
115.	बी.एएसएलपी	बैचलर इन ऑडियोलोजी एण्ड स्पीच लैन्ग्वेज पैथोलोजी	बैचलर्स	4	10+2
116.	एम.एएसएलपी	मास्टर इन ऑडियोलोजी एण्ड स्पीच लैन्ग्वेज पैथोलोजी	मास्टर्स	2	बी. एएसएलपी
117.	बी.आर.एससी.	बैचलर इन रिहेबिलिटेशन साइंस	बैचलर्स	3	10+2
118.	एम.आर.एससी.	मास्टर इन रिहेबिलिटेशन साइंस	मास्टर्स	2	बैचलर्स

	संस्कृत साउन्डिंग डिग्रियाँ			
क्र.सं.	विनिर्देशित डिग्रियाँ	स्तर	न्यूनतम अवधि (वर्षों में)	प्रवेश अर्हता
119.	शास्त्री/शास्त्री (आनर्स)	बैचलर्स	3	10+2
120.	आचार्य	मास्टर्स	2	बैचलर
121.	शिक्षा शास्त्री	बैचलर्स	1	बैचलर
122.	शिक्षा आचार्य	मास्टर्स	1	शिक्षा शास्त्री
123.	विशिष्टाचार्य	प्री–डॉक्टोरल	1	आचार्य/मास्टर
124.	विद्या वारिधि	डॉक्टोरल	2	मास्टर
125.	वाचस्पति	शोधोत्तर	2	पीएच.डी/विद्या वारिधि
विश्वविद्यालय इन डिग्रियों के अंग्रेजी समतुल्य शब्दों को विकृत/अनियमित रूप में अथवा चिन्ह /द्वारा अंक तालिका/डिग्री प्रमाण पत्र पर लिखने के लिए स्वतन्त्र होंगे।				

	उर्दू/फारसी/अरबी में डिग्रियों के विनिर्देशन			
क्र.सं.	विनिर्देशित डिग्रियाँ	स्तर	न्यूनतम अवधि (वर्षों में)	प्रवेश अर्हता
126.	फाज़िल	बैचलर्स	3	10+2(आलिम/अफजल–उल–उलेमा प्राथमिक)
127.	अफजल–उल–उल्मा	बैचलर्स	3	10+2(आलिम/अफजल–उल–उलेमा प्राथमिक)
128.	कामिल	मास्टर्स	2	फाजिल/अफजल–उल–उल्मा(बीए)
129.	मुमताज (मुमताजुल, तफसीर, मुमताजुल मोहद्दिसिन, मुमताजुल फिक़, मुमताजुल अदब आदि)	एम.फिल.	1	कामिल (एमए)
विश्वविद्यालय इन डिग्रियों के अंग्रेजी संमतुल्य शब्दों को विकृत/अनियमित रूप में अथवा चिन्ह /द्वारा अंक तालिका/डिग्री प्रमाण पत्र पर लिखने के लिए स्वतन्त्र होंगे।				

मार्गदर्शक सिद्धान्तः

डिग्रियों को सामुदायिक/वर्गगत रूप से विनिर्देशित किया जाना चाहिए तथा उनकी नामावलि ऐसी हो जिसे सामान्यतः पहचाना जा सके, वैश्विक रूप से जिसे स्वीकारा जाए तथा विस्तृत रूप में स्वीकार्य है तथा जो उन डिग्रियों के स्तर को तथा प्रमुख/विषय/धारा/ज्ञान क्षेत्रों से संबन्ध विश्वविद्यालय/संस्थान पाठ्यचर्या के नवोन्मेषी रूप को सूचित करने वाली हो तथा ऐसे विश्वविद्यालय/संस्थान विनिर्देशित जातिगत/वर्गगत डिग्रियों के विरुद्ध–चाहे अनियमित रूप से ही सही अपनी अपूर्वतायुक्त/विशेषज्ञता का संकेत देने के लिए स्वतंत्र होंगे ।

विश्वविद्यालय/संस्थान समेकित एवं दोहरे डिग्री पाठ्यक्रम को न्याय संगत रूप से सावधानी पूर्वक प्रस्तावित कर सकते हैं । किसी भी दोहरे पाठ्यक्रम में एक से अधिक पाठ्य विषय सम्मिलित होता है जो अधिकांशतः अनुप्रस्थ स्थिति के होते हैं। जबकि कोई भी एकीकृत पाठ्यक्रम प्रगतिशील एवं संचित (एकत्रित) होता है। ऐसे पाठ्यक्रमों को प्रस्तुत करने के पीछे जो अकादमिक विचार धारा/तर्कणा है उसका लक्ष्य पाठ्यचर्या अनिवार्यताओं को संक्षिप्त करना अथवा गतिशीलता के आधार पर दोहरी डिग्रियाँ प्रदान करना नहीं होना चाहिए तथा उसके विपरीत किसी भी एकीकृत दृष्टिकोण को ऊर्ध्वाधार/अन्तर विषयक लेखा विवरण से संलिप्त रहना चाहिए। किसी भी दोहरी डिग्री का बहु आयामी परिप्रेक्ष्य में सम्बद्ध अध्ययन विषयों का अधिक श्रेष्ठ विस्तार होना चाहिए। इस प्रक्रिया/विचारणा के अन्तर्गत यदि इसके अधिक न भी हो तथापि इसके समान ही पाठ्यचर्या अवधि एवं पाठ्यचर्या सम्प्रेषण के नवीन दृष्टिकोण होंगे । अतः दो या दो से अधिक अध्ययन विषयों को संयोजित करने वाले एकीकृत/दोहरे डिग्री पाठ्यक्रम की अनुमति केवल उसी स्थिति में होनी चाहिए यदि पाठ्यचर्या की अनिवार्यताओं नामतः अवधि, प्रश्न पत्रों की संख्या एवं पाठ्यक्रमों, की सघनता पर, अध्यापन/अधिगम घंटों, क्रेडिट इत्यादि के बारे में यदि किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं होता है। अतः विश्वविद्यालयों संस्थानों द्वारा एकीकृत एवं दोहरे डिग्री पाठ्यक्रम प्रस्तावित किए जाएँ, जो कि निम्न शर्तों के अधीन होंगेः–

अ) एकीकृत/दोहरे पाठ्यक्रम उन मानकों को क्षीण न बना दें जिन्हें विनियमों के माध्य से यूजीसी एवं अन्य सांविधिक संबंद्ध प्राधिकरणों ने पाठ्यविवरण, पाठ्यक्रम अवधि एवं परीक्षा अनिवार्यताओ के लिए निर्धारित किया है।

ब) यदि एकीकृत दोहरे डिग्री पाठ्यक्रम, एक अन्तरिम निर्गम अथवा पार्श्विक प्रवेश के विकल्प के साथ दो पृथक प्रस्तुत रूप करने का लक्ष्य रखते हैं तो एकीकृत/दोहरे पाठ्यक्रम की अवधि उन दो डिग्रियों की कुल निर्धारित अवधि से कम नहीं होनी चाहिए जिनकी एकीकृत/दोहरे डिग्री पाठ्यक्रमों में यह नामावली दर्शायी जाएगी बशर्ते ऐसे समस्त पाठ्यक्रमों को "एकीकृत/दोहरी डिग्री की नामावली प्रदान की जाएगी (प्रथम डिग्री का नाम)–(अन्तिम डिग्री का नाम)" बशर्ते इसके साथ ही एकीकृत/दोहरी डिग्री पाठ्यक्रम के अन्तर्गत प्रदत्त दोनों डिग्रियों को वैयक्तिक एवं पृथक रूप से एकल एकीकृत डिग्री न मानकर, समअनुरूप डिग्रियों के समतुल्य माना जायेगा।

स) यदि एकीकृत पाठ्यक्रम, निर्गम अथवा पार्श्विक प्रवेश की अनुमति के बिना एकल डिग्री प्रदान करने को प्रस्तावित करता है तो ऐसे पाठ्यक्रम की अवधि में दी जाने वाली छूट, संयोजित की जा रही उन दो डिग्रियों की कुल निर्धारित अवधि की 20 प्रतिशत सीमा तक की होगी जिन्हे एकल डिग्री के रूप में बनाया जा रहा है।

सामान्य अनुदेशः

1. जैसा इन अनुदेशों में अधिसूचित किया गया है, डिग्रियों की नामावली में किए गए समस्त परिवर्तन, सरकारी राजपत्र में उनकी अधिसूचना जारी होने की तिथि से प्रभावी होंगे।

2. उपरोक्त विनिर्देशित डिग्री को कोई विश्वविद्यालय जो किसी केन्द्रीय अधिनियम द्वारा उसके किसी प्रान्तीय अधिनियम अथवा राज्य कोई मानित विश्वविद्यालय के रूप वाला संस्थान जो धारा (3) के अन्तर्गत अथवा एक ऐसा संस्थान जिसे संसद द्वारा, यूजीसी अधिनियम 1956 के अनुच्छेद 22 के अन्तर्गत डिग्रियाँ प्रदान अथवा स्वीकृत करने के लिए विशेष अधिकारों द्वारा समर्थ बनाया गया है, केवल वही विश्वविद्यालय इन डिग्रियों को प्रदान कर सकता है।

3. कोई भी विश्वविद्यालय इस अधिसूचना के प्रावधानों के उल्लंघन की स्थिति में कोई भी डिग्री प्रदान नहीं करेगा। जैसा कि इसके आगे निर्धारित किया गया है, विश्वविद्यालयों को डिग्री प्रदान करने से पूर्व उन डिग्रियों की नामावलियों का पालन अधिदेशात्मक रूप से करना होगा तथा अनुदेशों के न्यूनतम मानकों का पालन सुनिश्चित करना होगा।

4. अनुमोदित नामावली को विशेषज्ञता के उस विशिष्ट क्षेत्र के अनुसरण में प्रतिबिम्बित किया जाए जैसा वाक्यांश/वाक्य में दर्शाया गया है।

5. विश्वविद्यालय अध्ययन के ऐसे नवीन पाठ्यक्रम प्रारम्भ करें जो कि सामयिक एवं नवीन रूप से प्रकट होने वाली सामाजिक आवश्यकताओं के प्रति सापेक्ष हैं तथा ऐसे नवोन्मेष अथवा विशेषज्ञता को उस वाक्यांश/वाक्य में दर्शाया जाए, जो उन मुख्य विषयों/विषय क्षेत्रों में उन विनिर्देशित डिग्रियों में से किसी भी एक की नामावली में सम्मिलित हो।

6. विनिर्देशित डिग्रियों को समय--समय पर यूजीसी द्वारा पुनरीक्षित एवं अद्यतन किया जाएगा तथा विश्वविद्यालयों को इसकी जानकारी दी जाएगी।

नवीन डिग्रियों का विनिर्देशन

7. आगे से विश्वविद्यालय डिग्रियों की कोई भी नवीन नामावली प्रस्तावित नहीं करेंगे जब तक कि इसके लिए कोई अत्यन्त सशक्त एवं तर्कपूर्ण कारण न हो। यदि किसी भी स्थिति में कोई विश्वविद्यालय एक नवीन नामावलि प्रस्तावित करने का इच्छुक है तो ऐसे विनिर्देशन के लिए इस डिग्री पाठ्यक्रम के प्रारम्भ करने के न्यूनतम छः माह पूर्व उसे यूजीसी से सम्पर्क करना होगा तथा उस डिग्री के प्रारम्भ करने के लिए निर्धारित अध्ययन पाठ्यक्रमों का विवरण प्रदान करना होगा जिन्हें विश्वविद्यालय/संस्थान के संबद्ध अकादमिक निकायों द्वारा जैसे कि अध्ययन बोर्ड, अकादमिक परिषद एवं शासी परिषद अनुमोदित किया गया है।

8. समस्त विश्वविद्यालय(उनसे सहसंबद्ध महाविद्यालयों सहित) डिग्री प्रदान करने के लिए उन न्यूनतम अनुदेशों के मानकों एवं निर्धारित मानकों का पालन करेंगे, जिन्हें विधिवत रूप से अर्हता प्राप्त शिक्षक/स्टाफ द्वारा प्रदान किया गया है तथा इन मानकों के अनुसार प्रदत्त उपयुक्त अकादमिक भौतिक अवसंरचना सुविधाओं का पालन करेगी जिन्हें संबद्ध सांविधिक/नियामक निकायों, जैसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी), अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद,(ए.आई. सी.टी.ई.) भारतीय चिकित्सा परिषद (एम.सी.आई), भारतीय फार्मेसी परिषद(पी.सी.आई.) भारतीय वास्तु शिल्पकार परिषद (सी. ओ.ए.), भारतीय विधि परिषद (बी.सी.आई), शिक्षक प्रशिक्षण भारतीय परिषद (एन.सी.टी.ई.), भारतीय दन्त चिकित्सा परिषद (डी. सी.आई.), भारतीय परिचर्या परिषद (एन.सी.आई), इत्यादि द्वारा उनकी क्रमिक अधिसूचनाओं/विनियमों में निर्धारित किया गया है।

9. किसी विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की जा रही विनिर्देशित डिग्रियाँ तथा संबद्ध सांविधिक/नियामक निकायों द्वारा निर्धारित अनुदेशों के न्यूनतम मानकों एवं सह संबद्ध महाविद्यालय विनियमों को उस विश्वविद्यालय की प्रवेश विवरणिका पुस्तिका में प्रमुखता से प्रकाशित किया जाएगा तथा इसे वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराया जाएगा।

यूजीसी द्वारा निरीक्षण

10. उपरोक्त अनुदेश/मानकों के प्रति सम अनुरुपता के विषय में प्रत्येक विश्वविद्यालय (अपने सह सम्बद्ध महाविद्यालयों सहित) समस्त सूचना यूजीसी को प्रेषित करेगा।

11. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उस विश्वविद्यालय एवं उसके सह सम्बद्ध महाविद्यालयों–विस्तार केन्द्रों/क्षेत्रीय/अध्ययन केन्द्रों एवं डिग्री स्तर तक की सुविधाएँ प्रदान करने वाले सभी संस्थानों का आवधिक निरीक्षण करा सकता है।

12. ऐसे निरीक्षण के पश्चात यूजीसी, चूक करने वाले दोषी विश्वविद्यालयों/सह संबद्ध महाविद्यालयों द्वारा अपनी चिंन्हित कमियों/गैर अनुकूलन को सुधारने के लिए पर्याप्त सुअवसर प्रदान करेगा।

इन अनुदेशों के अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा अनुपालन करने में असफल होने के परिणामः

13. दोषी विश्वविद्यालय/सह संबद्ध महाविद्यालय किसी भी अ–विनिर्देशित डिग्री प्रदान करने के लिये कोई पाठ्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए निषिद्ध होंगे।

14. इस अधिसूचना के उल्लंघन में प्रदान की गई कोई भी डिग्री एक अविनिर्देशित डिग्री मानी जाएगी तथा यूजीसी द्वारा विधिवत संतुष्ट होने के उपरान्त, कि इस अधिसूचना का उल्लंघन किया गया है, इसे इस रूप से घोषित किया जाएगा। जन साधारण की सूचना के लिए यूजीसी, उल्लंघन कर्ता विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों एवं उनके द्वारा प्रस्तुत की जा रहीं अविनिर्देशित डिग्रियों का आवश्यक प्रचार प्रसार करेगा।

15. संबद्ध विश्वविद्यालय का यह दायित्व होगा कि वह स्वयं एवं उसके सह संबद्ध महाविद्यालयों द्वारा निर्धारित नियामकों के अनुपालन पर नजर रखे तथा किए गए उल्लंघनों के अनुसार उल्लंघनकर्ता महाविद्यालयों को असम्बद्ध कर दें।

16. उपरोक्त अनुच्छेद 14 के अनुसार पारित आदेश की एक प्रति यूजीसी द्वारा सम्बद्ध आदेश में विनिर्दिष्ट अध्ययन सामग्री के संबंध में जिस दिन जारी की जाएगी, उसी दिन से उस संस्थान की सहसंबद्धता समाप्त मानी जाएगी। ऐसी संबद्धता की समाप्ति की तिथि से तथा उसके पश्चात आगामी तीन वर्षो तक के लिए उस संस्थान को ऐसे या इसी प्रकार की डिग्री अथवा स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रमों के प्रारम्भ करने के लिए स्वीकृति प्रदान नहीं की जाएगी।

17. उपरोक्त अनुसार डिग्रियों के विनिर्देशन के उल्लंघन के कारण दोषी विश्वविद्यालय एवं सहसंबद्ध महाविद्यालय, यूजीसी द्वारा उचित मानी गई कार्यवाई के लिए उत्तरदायी होंगे।

अ–विनिर्देशित डिग्रियों का विवरण

18. दिनांक 23.5.2009 की गत सूचना में जो डिग्रियाँ विनिर्दिष्ट की गयी थीं परन्तु जिन्हें अब विनिर्देशित कर दिया गया है, उन्हें उन छात्रों के मामलों में वैध माना जाएगा जो छात्र ऐसे डिग्री पाठ्यक्रमों में इस अधिसूचना के जारी होने से पूर्व ही नामांकित किए गए थे।

जसपाल एस संधु
सचिव